न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टी.ए. / 2334 / 2006 / सवाई माधोपुर

कल्याण पुत्र घसीड़्या (मृतक)
जरिये वारिसान :–
1– प्रहलाद पुत्र कल्याण
2– खेमचन्द पुत्र कल्याण
3– शान्ति पुत्री कल्याण
4– उगन्ती पुत्री कल्याण
5– गंगादेई पुत्री कल्याण
जाति माली निवासी वजीरपुर तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– मु0 कला पत्नि रामू
2– लच्छू पुत्र किशोरी
3– मु0 बादामी पत्नि रमजू
4– हल्लू पुत्र रमजू
5– मन्नू पुत्र रमजू
6– रामखिलाड़ी पुत्र विशन्या
7– रामफूल पुत्र विशन्या
जाति माली निवासी ग्राम वजीरपुर तहसील गंगापुसिटी
जिला सवाई माधोपुर।
8– लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री खजान सिंह, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः
श्री शैलेन्द्र राणा एवं श्री राकेश अरोड़ा, अधिवक्तागण अपीलार्थीगण।
श्री उमेश कुमार, श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्तागण प्रत्यर्थीगण।

———

निर्णय

दिनांकः 17 जनवरी, 2023

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 214 / 2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–03–2006 के विरूद्ध पेश की गई है।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुरसिटी के समक्ष एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 339 रकबा 6 बिस्वा, 342 रकबा 5 बिस्वा, 347 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 348 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 349 रकबा 10 बिस्वा कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम वजीरपुर की खातेदारी अपीलार्थीगण/प्रतिवादीग के पूर्वज घसीड़्या पुत्र लक्ष्मण व भज्जू पुत्र गोकल साकिन देह मुर्तहिन के नाम थी। उक्त आराजी घसीड़्या के पिता ने वादी के बाबा से 1984 से पूर्व रहन बिल कब्ज की थी। आराजी गोकल के पुत्र भज्जू के नाम मुर्तहन में आई, भज्जू के बाद उसके लड़के रामू, गंगासहाय, सुरेश का नाम आया। गंगासहाय व सुरेश का वारिस वादी सं0—1 रामू पुत्र भज्जू (मृतक) था। वादी उक्त आराजी पर काश्त करते आ रहे है। एकीकरण में उक्त आराजी के खसरा नंबर 628 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा बनाये गये तथा घसीड़्या पुत्र लक्ष्मण खातेदार तथा रामू, गंगासहाय, सुरेश पिता भज्जू मुर्तहन का इन्द्राज किया गया। वर्ष 1975 में राजस्व अभियान के तहत मुर्तहन का नाम हटा कर रहन मुक्ति का नामांतरकरण ग्राम पंचायत ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दर्ज कर दिया। अपील में नामांतरकरण को निरस्त किया गया है। दौराने भू प्रबंध इस आराजी के नवीन नम्बर 490 लगायत 497 कायम कर प्रतिवादी सं0 कल्याण के नाम कर दिये गये। वादी अपने बुजुर्गो के समय से ही वर्ष 1955 से पूर्व से इस आराजी को काश्त करता आ रहा है, रहन मुक्ति की अवधि अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व ही समाप्त हो चुकी थी। अतः वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी रहे हैं। प्रतिवादी ने अपने हक में अंकनों के आधार पर दिनांक 22—4—1998 को धमकी दी है, अतः दावा वादी डिक्री कर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। परीक्षण न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर दोनों पक्षों की बहस सुनकर तनकीयात कायम की तथा परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18—7—2003 द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर हाल प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17—03—2006 द्वारा अपील खारिज की तथा वाद वादीगण डिक्री कर हाल प्रत्यर्थीगण/वीदगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी के पक्ष में हो रहे अंकन कलमन कर वादीगण के पक्ष में तद्नुसार रिकार्ड में अंकन करने के आदेश प्रदान कर दिये। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3— उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताण की बहस सुनी गई।

4— विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपील—मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/प्रत्यर्थीगण ने कोई दस्तावेज रहन के बाबत् पेश नहीं किये। विवादित भूमि के बाबत रहन मुक्ति का नामांतरकरण दिनांक 15—6—75 को ग्राम पंचायत, वजीरपुर द्वारा तस्दीक कर दिया गया, जिसकी अपील प्रत्यर्थीगण ने उप जिला कलक्टर, गंगापुरसिटी के यहां पेश की, और उप जिला कलक्टर गंगापुरसिटी ने अपील

आंशिक स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु सहायक भू–अभिलेख अधिकारी गंगापुरसिटी को रिमाण्ड कर दिया। सहायक भू–अभिलेख अधिकारी, गंगपुरसिटी ने पक्षकारान को सुनकर दिनांक 24–03–81 को ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 15–6–75 को बहाल रखा। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रत्यर्थीगण ने भू–अभिलेख अधिकारी, अलवर के यहां पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 04–12–82 से अपील खारिज करते हुए ग्राम पंचायत व सहायक भू प्रबंध अधिकारी के निर्णय को यथावत रखा। इसके पश्चात् अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का तथा प्रत्यर्थीगण ने भी अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक दावा रामू बनाम घसीडया प्रकरण सं0 167 / 77 पेश किया जिस पर अपीलार्थीगण का दावा दिनांक 21–02–86 को डिक्री कर दिया गया तथा प्रत्यर्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया तथा प्रत्यर्थीगण का दावा सं0 167 / 77 खारिज कर दिया गया। इसके पश्चात् भी प्रत्यर्थीगण / वादीगण ने समस्त पूर्व तथ्यों को छिपाकर नये सिरे से एक दावा उप जिला कलक्टर, गंगापुरसिटी के समक्ष पेश किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा जवाबदावा पेश किया गया और उसमें समस्त तथ्यों का विवरण अंकित किया गया और परीक्षण न्यायालय द्वारा उसमें रेसज्यूडीकेटा की तनकी भी कायम की गई। परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण की गहनता से परीक्षण कर प्रकरण प्रतिवादी के के पक्ष में पाते हुए वाद वादीगण खारिज कर दिया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध तरीके से बिना किसी साक्ष्य के आधार पर वादीगण की अपील स्वीकार कर वाद वादीगण डिक्री कर दिया जबकि विवादित भूमि अपीलार्थी की खातेदारी एवं कब्जे की है। अपीलार्थी ही सदैव से उक्त भूमि का लगान अदा करता चला आ रहा है, प्रत्यर्थीगण का न तो कभी कब्जा रहा है, न ही कभी उनकी खातेदारी रही है। अधीनस्थ न्यायालय में भी रहन के बाबत उन्होंने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। पक्षकारान के मध्य पूर्व में ही दावा दिनांक 21–02–1986 को दावा डिक्री हो चुका है, जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थीगण / वादीगण ने कोई अपील किसी सक्षम न्यायालय में पेश नहीं की है इसलिए उक्त डिक्री आज तक यथावत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों को दरकिनार रखते हुए आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित किये है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–03–2006 खारिज फरमाये जावें। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी` 2014(1) आर.आर.टी. 618, 2020 (27) आर.बी.जे. 8, 2014 (1) आर.आर.टी. 618, 2011 (2) आर.आर.ओ. 721 तथा 2020 (27) आर.बी.जे. 130 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

5– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजी पर हमारे पूर्वजों के कब्जा सिद्ध करने के बाबत हमनें राजस्व रिकार्ड में नकल खसरा गिरदावरी संवत 2008 लगायत 2011, 2013 लगायत 2016, 2020 लगायत 2023, 2025 लगायत 2027 तथा संवत 2029 से 2032 की पेश की है जिनमें विवादित भूमि पर हमारा कब्जा होने बाबत् अंकन हैं नकल जमाबंदी भू प्रबंध विभाग में हमारे कब्जे बाबत पुष्टि है तथा खतौनी बंदोबस्त संवत 2022 में हमारे कब्जे को दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हमें प्रतिकूल कब्जे के आधार पर 12 वर्ष से अधिक अवधि पर हमारा कब्जा

होने के आधार पर विवादित भूमि में अधिकार प्राप्त हो गये है। भू प्रबंध विभाग द्वारा जो उनके मुर्तहने होने बाबत कब्जे को हटाया गया है जिसमें उनका पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है, उन अंकनों को हटाने का भू प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं है, उनका कार्य सिर्फ राजस्व रिकार्ड में दर्ज पूर्व की प्रविष्टियों को दोहराकर अंकित करने का है, न कि किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना ही अपनी मनमर्जी से पूर्व अंकन को हटाने का है। परीक्षण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड पर उपलब्ध समस्त दस्तावेज का पूर्ण अवलोकन नहीं कर सरसरी तौर पर वाद वादी खारिज किया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का पूर्ण उल्लेख करते हुए यह पाया है कि विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनिययम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से ही वादीगण के पूर्वजों में मुर्तहन में रही है और इस पर वादीगण के पूर्वजों का व बाद में वादीगण का कब्जा काश्त संवत 2012 के पूर्व से ही चला आ रहा है। प्रतिवादी द्वारा कभी भी रहन से मुक्त कराने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उनका यह भी कथन है कि प्रतिवादी के हकों का अवसान धारा 63(4) के तहत हो चुका है तथा वादीगण का कब्जा 12 वर्ष से अधिक अवधि का विवादित आराजी पर निर्बाद रूप से चलता आ रहा है। इन्हीं तथ्यों को उल्लेखित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण की अपील स्वीकार कर वाद वादीगण डिक्री किया है, जो कि उचित निर्णय है जिसमें द्वितीय अपील के जरिये हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने ए.आई.आर 2003 (मुम्बई) 392 तथा 1985 आर.आर.डी. 485 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

6— हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया।

7— परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18—7—2003 में 6 तनकियां बनाये जाने का उल्लेख किया है किन्तु उन्होंने इन तनकियों में से प्रत्येक तनकी पर अलग अलग विवेचना करते हुए उल्लेख नहीं किया है। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह उल्लेखित किया है कि दोनों पक्षों द्वारा समुचित दस्तावेज पेश नहीं किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा लिया गया प्रिजम्शन मान्य नहीं है। चूंकि वर्तमान में पत्रावली पर जो नकल जमाबंदी प्रदर्श 3 उपलब्ध है उसके अनुसार भूमि प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज हैं जिसके आधार पर भूमि वर्ष 1975 में रहन मुक्त हो गई थी एवं प्रतिवादी के खाते में चली आ रही है। वादीगण ने अपने कब्जे बाबत कोई नकल खसरा गिरदावरी पेश नहीं की है। लगान आदि की रसीदें पेश नहीं की गई है। साक्ष्य पेश नही की है तथा प्रतिवादी ने रेसज्यूडीकेटा का बिन्दु उठाया है एवं इसके समर्थन में प्रतिवादी ने यह भी बताया है मामला सेटलमेंट कमिश्नर तक चला गया है। अन्त में परीक्षण न्यायालय ने वाद वादीगण खारिज किया है।

8— प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीगण / वादीगण द्वारा अपील के विचाराधीन रहते आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण के संबंध में कुछ खसरा गिरदावरियों एव प्रकरण निस्तारण में सहायक

करने बाबत् दस्तावेज पेश किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया हैं तथा उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17–03–2006 में उक्त सभी दस्तावेंजों का उल्लेख करते हुए अपील स्वीकार कर वाद वादीगण स्वीकार कर प्रतिवादी के नाम दर्ज विवादित भूमि के अंकन को खारिज किये जाने का आदेश पारित किया है।

9– इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा मुख्य यह कथन किया गया है कि पूर्व में वर्ष 1986 में ही डिक्री जा चुकी है तथा जिसके विरूद्ध आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई अपील इत्यादि पेश नहीं की गई है जिससे रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त के मद्देनजर दुबारा इस प्रकरण में निर्णय नहीं किया जाना चाहिए।

10– हमारे द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अलग अलग निष्कर्ष/निर्णय पारित किये है। परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में 6 तनकियां तो कायम की है किन्तु प्रत्येक तनकी पर अलग अलग अपना मत अभिव्यक्त नहीं किया है जिससे कि प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं हो पाया है तथा परीक्षण न्यायालय के समक्ष जो खसरा गिरदावरियां इत्यादि पेश की गई है उनको भी दृष्टिगत रखते हुए निर्णय किया जाना है। अतः प्रकरण की वस्तुस्थिति को देखते हुए परीक्षण न्यायालय के स्तर पर ही इस प्रकरण का निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है ताकि दोनों पक्षों को साक्ष्य व समुचित सुनवाई का अवसर देकर तनकीवार निर्णय किया जा सके।

11– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर का निर्णय व डिक्री दिनाक 17–03–2006 तथा न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुरसिटी का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–7–2003 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण उप जिला कलक्टर, गंगापुरसिटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देकर प्रत्येक तनकी पर विवेचना करते हुए तनकीवार विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

12– उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय उपखंड अधिकारी, गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर के समक्ष दिनांक 20–02–2023 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड मंगवाया जावे। पत्रावली फैशलशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(खजान सिंह)
सदस्य